तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सुनील पंवार. बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 138/2023 (ऑनलाईन नं. 353966897991033)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी सुनील पंवार पुत्र सुरेश पंवार, निवासी प्लॉट नं. 47, सेक्शन 7, एक्सटेंशन एनपीएच रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 06.07.23. में उसके द्वारा (1) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर के द्वारा दिनांक 31.03.2023 कमांक/राजस्व/2023/153–154 के संबंध में उपायुक्त नगर निगम जोधपुर उत्तर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना सूरसागर जोधपुर के द्वारा उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर को जो पालना रिपोर्ट से अवगत करया गया उसकी सम्पूर्ण सत्यापित प्रति, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कर्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 877 दिनांक 26.07.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी सुनील पंवार द्वारा चाही गई इस कार्यालय से संबंधित न होकर उपखण्ड अधिकारी उत्तर, जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी उत्तर जोधपुर)को कार्यालय के पत्र संख्या 523 दिनांक 04.05.23 द्वारा स्थानान्तरित करते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा पत्र की प्रति प्रार्थी को दी गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधिक प्रकिया के तहत उपखण्ड अधिकारी (उत्तर) जोधपुर को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा अपील दायर होने तक इनके द्वारा सूचना नहीं दी गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में दी जावे, अन्यथा नहीं दिये जाने का कारण से अवगत करवाया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर	

जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)